न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक	
23/8/24	पत्रावली पेश/वकील पत्रकार मय पैरोकार मौजूद हुए। पत्रावली प्रार्थी वकील कि बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते सुनवाई आदेश अग्रिम 60 29/8/24 को पेश हो।
29/8/24	पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी के अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी ख0नं0 694 रकबा 0.2600 है0 वाके आबाद जाटवान तह0 कोटकासिम जिला अलवर स्थित निजाम राज0 कि पैमाईश दिनांक 1/11/2022 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा कराई जा चुकी है। तदनुसार पैमाईश विवादित आराजी कि मंजूरी कि जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को डब्लू.टी.ए. दिया जाकर अप्रार्थी को जरिये RAD नोटिस भेजी गई। अप्रार्थी के उपस्थित होकर जवाब मौजूद दिया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी कि खातेदारी आराजी होना स्वीकार है। विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 1/11/22 को की गई स्वीकार है। प्रार्थी वकील कि बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी कि पैमाईश के तारीख मंजूरी की जावे। प्रार्थी वकील कि बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व मौके पर विवादित आराजी कि पैमाईश कि जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार करते हुए पत्रावली